2019 का विधेयक संख्याकं 83

[दि होम्योपैथी सेन्ट्रल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह 2 मार्च, 2019 को प्रवृत्त होगा ।

धारा 3क का संशोधन ।

1973 का 59

2. होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 3क की उपधारा (2) में "एक वर्ष की अवधि के भीतर" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष की अवधि के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ।

निरसन और व्यावृतियां ।

3. (1) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन)अध्यादेश, 2019 निरसित किया जाता है । 2019 अध्यादेश सं0 11

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनिमयम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी । 1973 का 59

उद्देश्यों और कारणों का कथन

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) होम्योपैथी शिक्षा और व्यवसाय के संबंध में विचार करने हेतु होम्योपैथी की एक केन्द्रीय परिषद् के गठन का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था । उक्त अधिनियम के अधीन शासित महाविद्यालयों की क्वालिटी और कार्यकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा उसमें सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने महाविद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के संवर्धन सहित कतिपय महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं । होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल रही थी और वह केन्द्रीय सरकार को ऐसी रीति में, जो आयुर्विज्ञान की होम्योपैथी प्रणाली की शिक्षा और व्यवसाय के स्तर को बचाने के लिए अपेक्षित है, उसके कर्तव्यों को करने में जानबूझकर सहयोग नहीं कर रही थी । अतः, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् को होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2018 प्रख्यापित करके अतिष्ठित कर दिया गया और उसके स्थान पर तारीख 18 मई, 2018 को एक वर्ष की अवधि के लिए या नई होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् का पुनर्गठन किए जाने तक शासी बोर्ड का गठन किया गया था । उक्त अध्यादेश को होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 23) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था ।

2. होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् का एक वर्ष की अवधि के भीतर पुनर्गठन नहीं किया जा सका था क्योंकि होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों को निर्वाचित करने हेतु निर्वाचन करवाने के लिए राज्य होम्योपैथी रजिस्टर अद्यतन नहीं किए गए थे । इसके अतिरिक्त, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् को अतिष्ठित करने और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 को निरसित करने के उद्देश्य से, केन्द्रीय सरकार ने 7 जनवरी, 2019 को राज्य सभा में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019 पुरःस्थापित किया जिसे बाद में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को निर्दिष्ट कर दिया गया था । अतः, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् के पुनर्गठन के लिए एक वर्ष की अवधि को दो वर्ष तक विस्तारित करने की अपेक्षा थी जिससे शासी बोर्ड होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् के कृत्यों का पालन करता रहे ।

3. चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी और इस संबंध में अत्यावश्यक विधान की आवश्यकता थी, इसलिए राष्ट्रपति ने 2 मार्च, 2019 को होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, (2019 का 11) प्रख्यापित किया ।

4. अतः, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को प्रतिस्थापित करने के लिए होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019 पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है जो, अन्य बातों के साथ-साथ, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् के पुनर्गठन की अवधि को एक वर्ष से दो वर्ष तक विस्तारित करने के लिए भी उपबंध करता है ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
17 जून, 2019

श्रीपद येसो नाइक

उपाबंध

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम संख्यांक 59) से उद्धरण

* * * *

3क. (1) * * *

केन्द्रीय सरकार की केन्द्रीय परिषद् अतिष्ठित करने और शासी बोर्ड के गठन की शक्ति ।

(2) धारा 3 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय परिषद् का पुनर्गठन, उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय परिषद् के अतिष्ठित करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

* * * *

MGIPMRND—546LS(CRC)—17-6-2019.